न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/61 **दायरा दिनांक : 04.06.2024**

उनवान

दौलतराम पुत्र हीरालाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. कम्पूरीबाई पत्नी रामस्वरूप, आयु 40 वर्ष, जाति मीणा, ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना हाल निवासी अकलेरा, जिला झालावाड़
2. जुगराज वल्द प्रेम चन्द, जाति मीणा
3. प्रकाश चन्द वल्द प्रेम चन्द, जाति मीणा
4. बद्रीलाल वल्द प्रेम चन्द, जाति मीणा
5. हेमराज वल्द प्रेम चन्द, जाति मीणा
   निवासीगण बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/62 **दायरा दिनांक : 04.06.2024**

उनवान

दौलतराम पुत्र हीरालाल, जाति मीणा, निवासी खोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1. कम्पूरीबाई पत्नी रामस्वरूप, आयु 40 वर्ष, जाति मीणा, ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना हाल निवासी अकलेरा, जिला झालावाड़
2. जुगराज वल्द प्रेम चन्द, जाति मीणा
3. प्रकाश चन्द वल्द प्रेम चन्द, जाति मीणा
4. बद्रीलाल वल्द प्रेम चन्द, जाति मीणा
5. हेमराज वल्द प्रेम चन्द, जाति मीणा
   निवासीगण बसोदिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 02.09.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 66/दावा/2021 निर्णय व प्राथमिक डिक्री

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 25.07.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 23.04.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बासोदिया, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी सं. 82 की खसरा नं. कमशः 529 की 0.6394, खसरा नं. 530 की 0.6313, खसरा नं. 532 की 0.3723 कुल जुम्ला 3 किता की 1.6430 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.07.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 23.04.2024 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये किसी भी सम्मन की घीसी बाई पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दो व्यक्तियों की मौजूदगी में इत्तला नहीं करवायी गयी है और न ही उक्त सम्मन पर घीसी बाई की इत्तला का समय ही अंकित किया गया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.07.2023 को घीसी बाई के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करके उसी दिन बयान लेखबद्ध करके व बहस अंतिम सुनकर अतिशीघ्रता में उक्त निर्णय व डिकी पारित किया है तथा अपीलांट की आराजी का कोई हवाला नहीं दिया है, इस कारण से निर्णय व डिकी निरस्त होने योग्य है। दौराने वाद घीसीबाई पुत्री पन्ना विधवा गोपाल लाल जाति मीणा, निवासी बासोदिया ने दिनांक 20.06.2022 को उसका अपना 1/6 हिस्सा रजिस्टर्ड बेचान के द्वारा अपीलांट दौलतराम को बेचान कर दिया है और उसके पश्चात् दिनांक 08.09.2022 को घीसी बाई का स्वर्गवास हो गया है और उसके कोई कायम मुकामान भी नहीं है, इस कारण उक्त अपील में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिकी में अपीलांट दौलतराम की आराजी का कोई हवाला नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को पेपर पार्टीशन करते समय विवादित आराजी के समस्त पक्षकारों को नोटिस देकर तलब करना चाहिए था एवं पक्षकारों की मौजूदगी में ही तहसीलदार साहब को मौके पर जाकर पेपर पार्टीशन रिपोर्ट तैयार करना चाहिए था तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना भी उक्त प्रकरण में नहीं की गई इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिकी एवं निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.07.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 23.04.2024 निरस्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.05.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जावे।

अपील सं. 2024/61 प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एवं अपील संख्या 2024/62 प्राप्त होने पर वर्जे रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पेपर पार्टीशन करते समय विवादित आराजी के समस्त पक्षकारों को नोटिस देकर तलब नहीं किया एवं पक्षकारों की मौजूदगी में ही तहसीलदार साहब को मौके पर जाकर पेपर पार्टीशन रिपोर्ट तैयार करना चाहिए था तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गई। अतः अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.07.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 23.04.2024 निरस्त की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 2019 पेज 211, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 नियम 18 से 21 पेज 290, आर. एल. डब्ल्यू. 1976 पेज 1, आर.आर.डी. 2010 पेज 647 की नजीरे उद्धरत की, जो शामिल पत्रावली की गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

अपील सं. 2024/61 में अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में घीसीबाई की तामील भतीजे को की गई। घीसीबाई का अन्यत्र गांव जाना बताया गया। ऐसी स्थिति में दो गवाहों के समक्ष तामील की जानी चाहिए थी, जो नहीं होने से उक्त तामील समुचित तामील होना प्रकट नहीं होता।

तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव बनाते वक्त समस्त पक्षकारान को मौके पर नहीं बुलाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर समस्त पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुना जाना चाहिए था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर केवल वादी की सहमति से फाईनल डिक्री जारी कर दी जो राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 का उल्लंघन है। अपीलांट द्वारा आराजी घीसीबाई से क्रय की गई है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अतः हम प्रकरण को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

(ममता चुनावी-तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2024/61 एवं 2024/62 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.07.2023 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 23.04.2024 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण अधीनस्थ को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को जवाब का अवसर देकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया करें। इसके पश्चात् राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर फाईनल डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2-9-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा